(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 20/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 और वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 133 के साथ पठित, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट हैं, जिनको उक्त सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट सा.का.नि. संख्या के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है,

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	सा.का.नि. संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	7/2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02.02.2018	133 (अ) दिनांक 02.02.2018
2.	8/2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02.02.2018	134 (अ) दिनांक 02.02.2018

[फाइल संख्या 334/04/2018-टीआरआयू भाग]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार